

भारत सरकार  
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,  
उप प्रमागीय पुलिस अधिकारी  
प्रमारी उप – प्रधानाचार्य का कार्यालय,  
कार्यालयाध्यक्ष, सरकारी तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव.

सं. 4-19(1)/2018-19/त.प्र.सं-दीव/लेखा/65-A

दिनांक: 14/9/2018

**सिमित निविदा**

भारत के राष्ट्रपति की और से उप – प्रधानाचार्य, सरकारी तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव द्वारा तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव के तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, के लिये Fire Extinguishers के लिये मुहरबंद लिफाफे में सिमित निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	पूर्ण विवरण के साथ वस्तु का नाम	आवश्यक मात्रा
01	02	03
01.	<b>Filled Co2 type fire Extinguishers Capacity 4.5 kg. as per ISI Mark with complete Installation at Institute.</b>	<b>03 No. (Three No.)</b>
02	<b>Filled DCP Type Fire Extinguishers Capacity 9 Kgs. ISI Marked with complete Installation at Institute.</b>	<b>06 No. (Six No.)</b>

निबंधन और शर्तें :-

1. निविदा मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिये और उनके उपर तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, के लिये Fire Extinguishers की आपूर्ति लिखा होना चाहिये।
2. निवेदित दरे केवल इस तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव में सामग्री की सुपुर्दगी के लिये होनी चाहिये। बहारी आपूर्ति कर्ता सिर्फ उना ( पश्चिम रेलवे ) तक रेल भाडा सहित दरे बताये और उन्हें उना से इस तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव तक सामग्री लानेमें परिवहन व्यय खुद को वहन करना होगा। पैकिंग, प्रेषण और बीमा इत्यादि के लिये निवेदित दर पर कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त शर्तों का पुष्टि न करने वाले निविदाये मोटे तौर पर रद्द कर दि जाएंगी।
3. निवेदित दर निविदा खुलने की तिथि से छे ( 6 ) महिने तक की अवधि के लिये मान्य एवं जारी रहेने चाहिये।
4. निवेदित दर सभी करों को जोडकर होने चाहिये।
5. उपरी मुजब केवल अनुसूचि में उल्लिखित सामग्री के लिये ही दर बताये और यह दर दिये गये विशेष विवरण/मार्क/विनिर्माण वाली सामग्रियों के लिये ही होनी चाहिये। विशिष्ट विवरण/ मार्क/विनिर्माण की समकक्षता के संबध में अघोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
6. निम्न मान/स्तर वाले या आदेश में उल्लिखित किये गये विशिष्ट विवरण से अलग किस्म की और/या अपुर्ण या टुटी हुई सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपूर्तिकर्ता को उसे बदलना पड़ेगा और अस्वीकृत सामग्री को अपने खर्च एवं जवाबदारी पर वापस ले जाना होगा। किसी प्रकार के विवाद के मामले में, अघोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा और आपूर्तिकर्ता उसे मानने को बाध्य होंगे।
7. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और नहीं बैंक के जरिये पूर्ति के दस्तावेज भेजने की शर्त स्वीकृत की जाएगी और राशि का भुगतान सभी वस्तुओं प्राप्त होने के बाद एवं जेसेही बील पास होगा तब किया जायेगा।
8. दर सुची सिमित निविदा तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव के कार्यालय में दिनांक:-29.09.2018 को सुबह 11.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा और संभव होने पर प्राप्त सभी दर सुची ( सिमित निविदा ) उसी दिन शाम 16.00 बजे खोली जाएगी।
9. सफल निविदा देने वाले को पूर्ति / कार्य के आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर सामग्री की आपूर्ति / पूर्ति करनी होगी।
10. किसी भी या सभी दर सुचियों सिमित निवेदा को आंशिक या पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी / समाहर्ता, दीव के पास सुरक्षित हैं।
11. किसीभी सिमित निविदा में भूल – सुधार / अधिलेखन पाया गया तो वह सिमित निविदा अस्वीकृती के पात्र दायी होगा।
12. निविदाकार जो राशि / भाव निविदामें बताये वह वैधानिक और स्पष्ट होने चाहिये।
13. निविदाकार अपने निविदामें भूल – सुधार एवं अधिलेखन ना करें और अर्थहिन भाव न बताये।
14. निविदाकार सिमित निविदा उचित एवं सावधानि के साथ भरें।
15. निविदाकार सिमित निविदा की वस्तुओं में व्यवहार करता होना चाहिये।
16. निविदाकार बिक्रीकर / वेट विभाग में पंजीकृत होना चाहिये।
17. निविदाकार सिमित निविदा के साथ उपरोक्त दर्शायी गयी सामग्री के नमुने अथवा केटलोग जहां जरुरी हो वहां प्रस्तुत करें।

( ~~चिपके~~ अनेकांत )

उप प्रमागीय पुलिस अधिकारी  
प्रमारी उप – प्रधानाचार्य का कार्यालय,  
कार्यालयाध्यक्ष, सरकारी तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव.